विकलांगता राजकीय आयोग 2022 पत्रक

Hindi | हिन्दी

विकलांगता राजकीय आयोग क्या है?

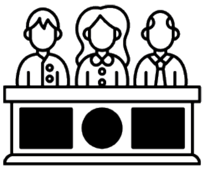

- यह तथ्यपत्र **विकलांगता राजकीय आयोग** के बारे में है।

- **राजकीय आयोग** ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने का एक आधिकारिक तरीका है।

- विकलांगता राजकीय आयोग इन लोगों की बात सुनने के लिए इच्छुक है:
  - विकलांगता-ग्रस्त लोग
  - जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं

- विकलांगता राजकीय आयोग का अंतिम वर्ष 2022 है। यह अपनी कहानी बताने के लिए अंतिम वर्ष है।

- विकलांगता राजकीय आयोग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि:
  - विकलांगता-ग्रस्त लोगों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है
  - समस्याओं का समाधान कैसे करें
  - विकलांगता-ग्रस्त लोगों की सुरक्षा कैसे करें
  - सभी विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए और अधिक समावेशी कैसे बनें

शामिल संगठन

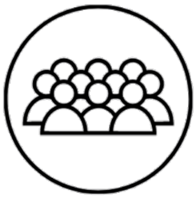

- इस तथ्यपत्रक में ये समूह शामिल हैं

- **राष्ट्रीय प्रजातीय विकलांगता गठबंधन (National Ethnic Disability Alliance)**
  - हम इस समूह के बारे में बात करते समय **एनईडीए** का उपयोग करते हैं।

- **विकलांगता-ग्रस्त लोग ऑस्ट्रेलिया (People with Disability Australia)**
  - हम इस समूह के बारे में बात करते समय **पीडब्ल्यूडीए** का उपयोग करते हैं।

- **ऑस्ट्रेलिया की प्रजातीय समुदाय परिषदों का संघ (Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia)**
  - इस समूह के बारे में बात करते समय हम **एफईसीसीए** का उपयोग करते हैं।

- ये समूह विकलांगता-ग्रस्त लोगों का है, जो:
  - प्रवासी हैं।
  - शरणार्थी हैं।
  - शरण साधक हैं।

विकलांगता-ग्रस्त लोगों की कहानियाँ

- विकलांगता-ग्रस्त व्यक्ति होने के कारण लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमने उन लोगों की कहानियाँ सुनी हैं।

- सभी लोगों की कहानियाँ अलग-अलग होती हैं। ये बातें किसी व्यक्ति के अनुभव को बदल सकती हैं:
  - भाषा
  - धर्म
  - संस्कृति
  - वे ऑस्ट्रेलिया कैसे आए
  - उनके पास किस प्रकार का वीज़ा है
  - विकलांगता

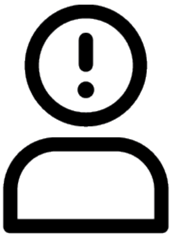

- ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में लोगों ने हमें बताया है:

- वे विकलांगता समर्थन पेंशन (Disability Support Pension) और अन्य सरकारी भुगतान प्राप्त नहीं कर पाते हैं

- उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है। उनके घरों में और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं में ऐसा होता है।

- उन्हें स्थायी वीज़ा नहीं मिल पाता है।
- उनके पास जिस प्रकार का वीज़ा है, उसके कारण उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है।

- उन्हें **राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (एनडीआईएस)** से समर्थन नहीं मिल पाता है।
- एनडीआईएस के बारे में उनकी जो समझ है, वे उससे संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

- उन्हें स्वयं अपने विकल्प और निर्णय लेने की अनुमति नहीं मिल पाती है, जिसमें ये बातें शामिल हैं:
  - वे कहाँ रहना चाहते हैं, और
  - वे किसके साथ रहना चाहते हैं

- आव्रजन के कारण बंदी बनाए जाने पर वे विकलांग हो गए थे।
- आव्रजन के कारण बंद रहने के दौरान विकलांगता-ग्रस्त लोगों को भयानक अनुभव हुए थे।

- वे समझ नहीं पाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाए।
- उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ बुरे अनुभव हुए हैं।
- उन्हें शिकायत करने से संबंधित अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है।

अपनी कहानी कैसे साझा करें

- यदि आप विकलांगता-ग्रस्त व्यक्ति और:
  - प्रवासी हैं।
  - शरणार्थी हैं।
  - शरण साधक हैं।

Disability Royal Commission

- और आप हिंसा, दुर्व्यवहार या उपेक्षा के बारे में अपनी कहानी को साझा करना चाहते/चाहती हैं, तो विकलांगता राजकीय आयोग आपकी बात सुनना चाहता है।

- आप पीडब्ल्यूडीए को **1800 843 929** पर कॉल कर सकते/सकती हैं
  - वे विकलांगता राजकीय आयोग को आपकी कहानी बताने में आपकी सहायता करेंगे
  - आप अपनी पसंद की भाषा में **दुभाषिए** के माध्यम से बात करने का अनुरोध भी कर सकते/सकती हैं

- अन्य भाषाओं में तथ्य पत्रकों और वीडियो समेत और अधिक जानकारी के लिए आप एनईडीए की वेबसाइट पर जा सकते/सकती हैं: http://www.neda.org.au/disability-royal-commission-information